



कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-226007

सन्दर्भ संख्या : 10388-450

दिनांक : 11/05/2011

कार्यालय आदेश

उपरो शासन के पत्र सं० 1569/सत्तर-1-2004 दिनांक 20 सितम्बर 2004 के क्रम में विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा संस्थाओं में महिलाओं / छात्राओं के साथ बढ़ रही अमदरतापूर्ण घटनाओं की प्रवृत्ति को रोकने के लिए मा० कुलपति जी ने निम्नवत महिला सहायता शिकायत निवारण समिति का गठन किया है :-

क्रम सं०	नाम व विभाग	मो० नम्बर
1.	प्रो० रश्मि पाण्डेय, अध्यक्ष, महिला सहायता समिति एम०आई०एच०, विभाग, ल०वि०वि०	9839029983
2.	डॉ० शीला मिश्रा, सदस्य / संयोजक, महिला सहायता समिति सांख्यिकी विभाग, ल०वि०वि०	9415088652
3.	सुश्री अर्पणा भट्टाचार्य, सदस्य, महिला सहायता समिति जे०आर०एफ०, साइकोलाजी विभाग, ल०वि०वि०	9452176497
4.	श्री अनुराग श्याम रस्तोगी, सदस्य, महिला सहायता समिति पी०एच०डी० द्वितीय वर्ष, विधि विभाग, ल०वि०वि०	9450211971
5.	श्रीमती उर्वशी साहनी, चैयरपर्सन, स्टडी हाल एजुकेशनल फाउन्डेशन, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010	9839014314

प्रत्येक पीड़ित महिला / छात्रा अपने साथ घटित या सम्भावित घटना की सूचना समिति के संयोजक या किसी सदस्य को देगी जो अध्यक्ष को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। प्रकरण की प्रवृत्ति को देखते हुए समिति ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी जैसा वह उचित समझे। समिति को अधिकार होगा कि वह दोनों पक्षों को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश जारी करे और सुनवाई के उपरान्त अपने सुझाव कुलपति जी को प्रेषित करें। इस संबंध में शासनादेश की छाया प्रति इस आदेश के साथ प्रेषित की जा रही है।

यह समिति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

संलग्नक : यथोपरि।


(जी०पी० त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या :

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, ल०वि०वि०।
4. समस्त उपरोक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, ल०वि०वि०।
5. कुलानुशासक, ल०वि०वि०।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल०वि०वि०।
7. उपकुलसचिव, सा० प्रशा०।

कुलसचिव